संख्या-115/2023/814/001-23-9-2023/-01नाबार्ड-ओ0डी0आर0-2019

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ:दिनांक 07 मई, 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 08 चालू कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 08 चालू कार्य हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार कुल रू0 28,06,00,000/- (रूपये अठ्ठाईस करोड़ छः लाख मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

तालिका-क

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागतअनुरक्षण / कुल /लागत कृत स्वी प्राविधिक /लागत /लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3957/CE-HQ1/RIDF26/GON/2023-24 Dt- 28-04-2023	प्रा.ख. गोण्डा	दर्जीकुआं मनकापुर बभनान मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य	139/2021/आई0/96144-लोक निर्माण अनुभाग-9-दिनांक-09-09-2021	4505.82 415.35 4921.17 4921.17 3739.95	37.69	4883.48	4280.53	602.95	187.60
2	4036/CE-HQ1/RIDF26/GKP/2023-24 Dt- 01-05-2023	प्रा.ख. कुशीनगर	तमकुही सिसवा नाहर अहिरौलीदान मार्ग अ)0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	शासनादेश सं0-183/2021/आई0/116188-लोक निर्माण अनुभाग-9-दिनांक-24-11-2021	5432.66 490.04 5922.70 5922.70 4073.00	22.52	5900.18	4416.08	1484.10	722.43
3	3880/CE-HQ1/RIDF26/JHA/2023-24 Dt- 26-04-2023	नि-.ख.1 जालौन	बंगरा जगम्मनपुर मार्ग से रामपुरा से निनावली नरौल राठौरपुरा होते हुये म0प्र0 की सीमा तक दो लेन का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	शासनादेश सं0-183/2021/आई0/116188-लोक निर्माण अनुभाग-9-दिनांक-24-11-2021	2495.07 190.36 2685.43 2685.43 1700.00	25.85	2659.58	1795.37	864.21	549.10
4	3880/CE-HQ1/RIDF26/JHA/2023-24 Dt- 26-04-2023	नि-.ख.1 जालौन	उरई ऐरखास टीकर अ)0जि0मा0) के किमी0 1(200) से	शासनादेश सं0-183/2021/आई0/116188-लोक	2825.45 260.44 3085.89	42.20	3043.69	2108.03	935.66	533.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागतअनुरक्षण / कुल /लागत कृत स्वी प्राविधिक /लागत /लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13(125) में सी0सी0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	निर्माण अनुभाग-9- दिनांक-24-11-2021	3085.89 2324.0					
5	3881/CE-HQ1/RIDF26/ MBD/2023-24 Dt- 26-04-2023	नि-.ख.2 बिजनौर	अफजलगढ़ कालागढ़ मार्ग से बिड़ला फार्म, हरेवली, बेनीपुर होते हुये मुइददीनपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	139/2021/ आई0/96144 -लोक निर्माण अनुभाग-9- दिनांक-09-09-2021	5708.34 526.19 6234.53 6234.53 4390.36	0.44	6234.09	5422.92	811.17	284.83
						योग				2277.91

तालिका-ख

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता -0मु) (1,लो0वि0नि0, लखनऊ के पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	कुल स्वीकृत लागतप्राविधिक/ /लागत गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष -2023 में 24 वित प्रस्ता आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3984/CE-HQ1/RIDF25/A DY/2023-24 Dt- 29-04-2023	नि-.ख.3 सुल्तानपुर	दुर्गापुर लम्भुआ मार्ग	36/2020/95/23 -9-2020- 01नाबार्डओ)0डी 0आर0)/2019- दिनांक-24-02-2020	2357.78 2357.78 1857.84	2.08	2355.70	2237.81	117.89	117.89
2	3984/CE-HQ1/RIDF25/A DY/2023-24 Dt- 29-04-2023	नि-.ख.3 सुल्तानपुर	कामतागंज शूम्भूगंज शिवगढ़ मधुपुर अ)0जि0मा0) का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण	36/2020/95/23 -9-2020- 01नाबार्डओ)0डी 0आर0)/2019- दिनांक-24-02-2020	2476.93 2476.93 1897.40	1.73	2475.20	2351.35	123.85	123.85
3	4035/CE-HQ1/RIDF25/A ZM/2023-24 Dt- 01-05-2023	प्रा.ख. बलिया	सिकन्दरपुर सिवानकलां बालूपुर बहुदरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	36/2020/95/23 -9-2020- 01नाबार्डओ)0डी 0आर0)/2019- दिनांक-24-02-2020	1481.42 1481.42 939.00	4.40	1477.02	1116.60	360.42	286.35
						योग				528.09
						महायोग(तालिका क+ख)				**2806.00**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित है, तो प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत आदर्श चुनाव आचार संहित प्रभावी रहने तक उक्त कार्यों हेतु धनराशि निर्गत न की जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,06,00,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ छह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043378300 नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in